"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर 2015—— आश्विन 1, शक 1937

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-40/2009/18. — विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-12-2009 द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार नगर पंचायत, विश्रामपुरी का गठन किया गया था.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर पंचायत, विश्रामपुरी को तत्काल प्रभाव से विघटित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-40/2009/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-40/2009/18, दिनांक 21-09-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 21st September 2015

NOTIFICATION

No. F 1-40/2009/18. — By the departments Notification Dated 22-12-2009 in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961) Nagar Panchayat, Visharampuri was constituted.

2. In excercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5-A of Chhattisgarh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961) The State Government hereby decompose Nagar Panchayat, Visharampuri with the immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.